जनसत्ता

11 दिसंबर, 2019

आशंका और सवाल

नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास भले हो गया हो, लेकिन इसे लेकर देश के विभिन्न इलाकों में जिस तरह का भय और संदेह पैदा हो रहा है, उसे अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इस विधेयक के विरोध में मंगलवार को असम, मेघालय, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे, बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए, हिंसा-आगजनी की खबरें आईं। इतना ही नहीं, लोकसभा में सोमवार को देर रात तक चली तीखी बहस में दशकों पुराने मामले उखाड़े गए, एक दूसरे पर इतिहास की गलतियों के ठीकरे फोड़े गए और बताया गया कि पहले भी शरणार्थियों को नागरिकता दी गई है। गृह मंत्री ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया तो कांग्रेस ने बताया कि द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव तो 1935 में पहली बार हिंदू महासभा के नेता वीर सावरकर ने रखा था। इन सबसे लगता है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जिस तरह की आशंकाएं और डर विपक्ष, देश के बुद्धिजीवियों और दूसरे वर्गों की ओर से व्यक्त किया जा रहा है, वह निराधार तो नहीं है। हालांकि अभी इस विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा होनी है और सरकार वहां भी इसे पारित कराने में कामयाब हो जा सकती है। अगले चरण में यह कानून भी बन जा सकता है। लेकिन इसे लेकर विपक्ष के जो बुनियादी सवाल हैं, उनका जवाब शायद नहीं मिल पाए।

विपक्ष की आपत्ति शरणार्थियों को नागरिकता देने को लेकर नहीं है। उसकी आपत्ति धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर है। विधेयक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने की बात है। इन गैर-मुसलमानों में इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग हैं। मुसलमानों को बाहर इसलिए रखा गया है कि इन देशों में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो ऐसे में मुसलमानों को इससे बाहर रखा जाना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो भारत राष्ट्र-राज्य की संकल्पना पर चोट पहुंचाता है। इसीलिए विपक्ष ने इस विधेयक को अनैतिक और असंवैधानिक करार दिया है। भले ही सरकार कितनी सफाई दे और दावा करे कि यह विधेयक मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे पूरे देश में जाहिर तौर पर यह संदेश गया है कि मुसलमानों के लिए भारत के दरवाजे बंद हैं। सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वह विपक्ष और देश के नागरिकों खासतौर से मुसलिम समुदाय के इस डर का समाधान कैसे करती है।

शरणार्थी और घुसपैठिए दोनों पुराने मुद्दे हैं। शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस वक्त भारत में करीब चौरासी हजार बांग्लादेशी शरणार्थी और एक लाख से ज्यादा तमिल शरणार्थी रह रहे हैं। यह वह आंकड़ा है जो सरकार के पास दर्ज है। लेकिन हकीकत में शरणार्थियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। नागरिकता संशोधन विधेयक में तमिल शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में ये कहां जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि एनआरसी से जो लोग बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा? इनकी तादाद तो लाखों में है। फिर घुसपैठियों और शरणार्थियों की पहचान कोई आसान काम तो है नहीं। पहचान के नाम पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस लोगों का उत्पीड़न करेगी और मानवाधिकार के सवाल उठेंगे। पूर्वोत्तर के ज्यादातर इलाकों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, फिर भी सबसे ज्यादा चिंता और खौफ वहीं है। अगर सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक को कानूनी जामा पहनाने की दिशा में बढ़ रही है तो इन सवालों पर भी गौर तो करना होगा।

विचार के बजाय

बीते तीन हफ्तों के भीतर दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर विरोध जुलूस निकाला और एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने उनसे निपटने के लिए धक्का-मुक्की और लाठीचार्ज को ही उपाय माना। क्या सचमुच ऐसे हालात पैदा हो गए थे, जिनमें में पुलिस को छात्रों और छात्राओं खिलाफ यह रवैया अपनाना जरूरी लगा? गौरतलब है कि सोमवार को जेएनयू के विद्यार्थियों का जुलूस अपनी मांगों के साथ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ना शुरू हुआ तो रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और फिर धक्का-मुक्की के बाद लाठीचार्ज भी किया। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वे अपने आप में काफी कुछ बताती हैं। खबरों के मुताबिक छात्राओं ने यहां तक आरोप लगाए कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। सवाल है कि शीर्ष स्तर के जो अधिकारी पुलिस को निर्देश दे रहे थे, क्या वे इस सबसे पूरी तरह अनभिज्ञ थे? विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करने और सहमति पर आधारित किसी फैसले पर पहुंचने के बजाय दमन को ही आखिरी रास्ता क्यों मान लिया जाता है?

पिछली बार जब विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ लिया था, तब जेएनयू प्रशासन ने बढ़ाए गए शुल्कों में मामूली कमी करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन विद्यार्थियों की नजर में वह नाकाफी था और वे पूरी बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। दरअसल, जेएनयू में उठे इस आंदोलन को मुख्य रूप से छात्रावास के शुल्क में बढ़ोतरी के तौर पर प्रचारित किया गया। लेकिन नई नियमावली में मेस सिक्युरिटी, बिजली-पानी समेत कुछ अन्य मदों में भी जो बढ़ोतरी की गई थी, उसमें वहां पढ़ाई और शोध कर रहे बहुत सारे विद्यार्थियों की पहुंच से बाहर होने की आशंका जताई गई। इसके अलावा, शुरू में पहनावे और छात्रावास में लौटने के समय के साथ पुस्तकालय की अवधि सीमित करने का भी प्रस्ताव था। इस समूची कवायद को जेएनयू में उच्च गुणवत्ता की पढ़ाई-लिखाई और उस तक समाज के कमजोर तबकों की पहुंच की परिकल्पना के विरुद्ध माना गया। जेएनयू प्रशासन के इन्हीं कदमों के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन पर उतरे और 'सस्ती शिक्षा, सबका अधिकार' को मुख्य नारा बनाया। उनके इस आंदोलन को दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों का भी समर्थन मिला।

गौरतलब है कि पिछले प्रदर्शन के बाद जेएनयू के कई विद्यार्थियों पर मुकदमा कर दिया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी ओर से मुद्दे के हल के लिए दखल देते हुए वे सभी मुकदमे वापस लेने, मौजूदा जेएनयूएसयू को अधिसूचित करने और एक समझौते तक पहुंचने की सलाह दी थी। विद्यार्थियों की ओर से उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट भी जारी करने की मांग की जा रही है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जेएनयू प्रशासन की ओर से ऐसी पहल क्यों नहीं हो रही है कि शुल्क बढ़ोतरी के सिरे से जेएनयू में उठे विवाद का सर्वमान्य हाल निकाला जा सके? जेएनयू के विद्यार्थी अगर छात्रावास के शुल्क सहित कई मदों में बढ़ाए गए खर्च पर सवाल उठा रहे हैं और उसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं तो क्या यह पूरी तरह अनुचित है और क्या इसके लिए उनसे सख्त तरीके से निपटना ही एकमात्र उपाय है? आखिर ऐसे सवाल क्यों उठने लगे हैं कि अगर देश भर में नेताओं, सांसदों-विधायकों के वेतन-भत्तों से लेकर निजी कंपनियों के टैक्स और कर्ज में अगर भारी रियायत दी जा सकती है तो शिक्षा के मद में खर्च को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है!

कल्पमेधा

जिस समय हम समझते हैं कि हम नेतृत्व कर रहे हैं, उस समय अक्सर हम दूसरे के नेतृत्व में होते हैं।

– बायरन

स्वदेशी मिसाइलें और चुनौतियां

योगेश कुमार गोयल

भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी 2.8 मैक गति वाली सुपरसोनिक मिसाइलें तो हैं, जो तीन सौ किलोग्राम हथियार के साथ करीब दो सौ नब्बे किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकती हैं। अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती मिसाइल ताकत की वजह से ही भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना जरूरी हो गया था।

दुनियाभर में हथियारों की होड़ तेजी से बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के पड़ोसी देश भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। इसी कारण भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित करना समय की बड़ी मांग है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है। पिछले कुछ समय में अमेरिका के अलावा रूस, इजरायल, फ्रांस आदि के साथ भारत ने अत्याधुनिक हथियारों और अन्य साजो-सामान की खरीद के लिए कई बड़े सौदे किए हैं। भविष्य की रणनीतियों और युद्ध के खतरों को ध्यान में रखते हुए सेना के सभी अंगों को अत्याधुनिक हथियारों से परिपूर्ण बनाना बेहद जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ ही इस बात की भी जरूरत महसूस की जाती रही है कि अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए हम पूरी तरह से विदेशी हथियारों पर आश्रित न रह कर उन्नत स्वदेशी तकनीक वाले हथियारों से भी सेना को सुसज्जित किया जाए।

पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने कहा था कि केवल हथियारों का आयातक बने रह कर कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता। पिछले कुछ सालों में भारत ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित हाइपरसोनिक हथियारों और मिसाइलों से सेना की ताकत बढ़ाई है, जिनकी मारक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत और रूस ने 2015 में पांच अरब डॉलर का हथियारों का करार किया था। इसके तहत अक्तूबर, 2020 तक सेना के बेड़े में दुनिया की सबसे आधुनिक और लंबी दूरी की एस-400 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल होने वाली है। यह मिसाइल प्रणाली लड़ाकू विमानों और हर प्रकार के ड्रोन को निशाना बनाने और दुश्मन की तरफ से होने वाले किसी भी हवाई हमले को चार सौ किलोमीटर की दूरी पर ही खत्म करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत में ही तैयार हो रही विभिन्न मिसाइलें भारत को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। सीमित क्षमताओं के बावजूद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कई रक्षा प्रणालियां, उत्पाद और प्रौद्योगिकियां विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि-2 बैलिस्टिक मिसाइल का पिछले दिनों पहली बार रात के समय सफल परीक्षण करते हुए भारत ने अपनी स्वदेशी मिसाइल ताकत का स्पष्ट अहसास कराया था। अब भारत रात में भी मिसाइल दागने और लक्ष्य भेदने की क्षमता हासिल कर लेने वाला देश बन गया है। अग्नि-2 मिसाइल 21 मीटर लंबी, 1.3 मीटर चौड़ी और सोलह टन वजनी है जो तीन हजार किलोमीटर तक के दायरे में लक्ष्य को भेद सकती है और यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सतह से सतह पर प्रहार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल को वर्ष 2004 में ही सेना में शामिल कर लिया गया था, लेकिन रात के समय इसका सफल परीक्षण अब किया गया। अग्नि-2 के अलावा इसी शृंखला की सात सौ किलोमीटर तक मार कर सकने वाली अग्नि-1, तीन हजार किलोमीटर तक जाने वाली अग्नि-3, लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि-4 और पांच हजार किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल अग्नि-5 भी भारत की मिसाइल परियोजनाओं की बड़ी देन रही हैं। अब अग्नि-6 पर भी तेजी से काम चल रहा है।

अमेरिका, रूस और चीन के पास इस समय विभिन्न प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। अमेरिका के पास एक साथ तीन परमाणु हथियार ले जाने और तीन अलग-अलग लक्ष्यों को भेदने में सक्षम तेरह हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एलजीएम-30 माइन्यूटमैन है तो रूस के पास एक साथ दस ठिकानों पर निशाना साधने में सक्षम सोलह हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली आर-36 है। इसी तरह चीन के पास एक साथ दस से भी ज्यादा ठिकानों पर निशाना साधने में सक्षम डोंगफेंग-41 मिसाइल है। पांचवीं पीढ़ी का हथियार मानी जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल की गति कम से कम पांच मैक होती है और एक मैक गति ध्वनि की गति के बराबर मानी जाती है, यानी ध्वनि से पांच गुना तेज गति वाली मिसाइलें ही हाइपरसोनिक मिसाइलें कहलाती हैं, जो एक सेकेंड में एक मील से भी ज्यादा दूरी तय करती हैं। ध्वनि की गति से दो से तीन गुना अधिक गति वाली मिसाइलें सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। भारत के पास फिलहाल ब्रह्मोस जैसी 2.8 मैक गति वाली सुपरसोनिक मिसाइलें तो हैं, जो तीन सौ किलोग्राम हथियार के साथ करीब दो सौ नब्बे किलोमीटर तक हवा से हवा में मार कर सकती हैं। अमेरिका, रूस और चीन की बढ़ती मिसाइल ताकत की वजह से ही भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास करना जरूरी हो गया था।

अगर बात की जाए भारत और रूस के साझा प्रयासों से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की तो नौसेना, थलसेना और वायुसेना की जरूरतों के आधार पर समुद्र, जमीन और आकाश से दागे जाने वाले इस मिसाइल के कई संस्करण पहले ही तैयार हो चुके हैं, लेकिन सितंबर 2019 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जिस विशेष संस्करण का सफल परीक्षण किया गया, उस टू-इन-वन मिसाइल को जमीन के अलावा समुद्री पोतों और पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और वर्ष 2020 तक सुखोई-30 लड़ाकू विमानों में भी ब्रह्मोस तैनात कर दिए जाने की योजना है। पिछले महीने डीआरडीओ द्वारा ही तैयार साढ़े तीन हजार किलोमीटर की मारक क्षमता वाली के-4 परमाणु मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। वैसे वर्ष 2010 से अभी तक इसके कई परीक्षण किए जा चुके हैं और अब परीक्षण के दौरान यह शून्य त्रुटि के साथ लक्ष्य को भेदते हुए सभी मानकों पर खरी उतरी है। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत अब अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद पानी के भीतर मिसाइल दागने की अभूतपूर्व ताकत और तकनीक रखने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

इस साल सितंबर में भारत पूर्णरूप से स्वदेशी 'अस्त्र' मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर चुका है। 'अस्त्र' मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली पहली पूर्ण स्वदेशी मिसाइल है, जिसमें अलग-अलग ऊंचाई पर उड़ान भर रहे कम व लंबी दूरी के हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। ठोस ईंधन से चलने वाली यह मिसाइल दुश्मन देशों के रडार की आंखों में धूल झोंकने की क्षमता से भी लैस है और पंद्रह किलोग्राम विस्फोटकों से लैस होकर यह साढ़े पांच हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार कर सकती है। चूंकि यह प्रक्षेपण के तुरंत बाद बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य को भेदती है, इसीलिए इसे 'बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल' भी कहा गया है। इस मिसाइल को विशेष रूप से मिराज, सुखोई एसयू-30, एलसीए तेजस, मिग-29 और मिग-21 बायसन जैसे लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए विकसित किया गया है और अब इसका नया विकसित संस्करण बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है।

अगर भारत द्वारा विकसित की गई अन्य स्वदेशी मिसाइलों पर नजर दौड़ाएं तो सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से सतह पर मार करने वाली अनेक मिसाइलें भारतीय सेना की ताकत बनी हुई हैं। बहरहाल, भारत केवल विदेशी हथियारों और मिसाइलों पर निर्भर न रह कर अब जिस प्रकार अत्याधुनिक तकनीकों से लैस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्वदेशी हथियारों के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उससे भारतीय सेना की ताकत दिनोंदिन बढ़ रही है और इसे देखते हुए अब पाकिस्तान तो क्या, चीन जैसे देशों के भी पसीने छूटने लगे हैं।

छोटा उ से उम्मीद

प्रतिभा कटियार

दुनिया मेरे आगे

इसमें आश्चर्य की भला क्या बात है कि 'सारा देश' जश्न मनाता दिखा कि 'मुठभेड़' से न्याय हुआ! क्यों होना चाहिए आश्चर्य कि बाबाओं को बचाने के लिए हिंसक होने तक टूट पड़ने वाली भीड़ उसी पुलिस पर फूल बरसाती है, जिसके पास जाकर रिपोर्ट लिखवाने जाने से डरती हैं स्त्रियां! ऐसी खबरें अक्सर आती रहती हैं कि पुलिस हिरासत में हत्या हुई या बलात्कार हुआ। लेकिन हिरासत में हुए बलात्कारों की संख्या के बारे में जनता नहीं सोचती तो भी अब कोई आश्चर्य नहीं होता। अब तो इस बात पर भी कोई हैरानी नहीं होती कि इस जनता में ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग भी शामिल दिखने लगे हैं। सांसद से लेकर लेखक, साहित्यकार, फिल्मकार भी! क्यों होना चाहिए आश्चर्य आखिर? हम अतार्किक लोग हैं। हम भीड़ हैं... हमें भीड़ बनना सिखाया गया है... तालियां बजाना सिखाया गया है। बात मानना और झुंड बन कर किसी के पीछे चलना सिखाया गया है। और यही असल सुख है, यही मानना हमारे भीतर बो दिया गया है। किस बात पर कितना हंसना है, किस बात को किस हद तक सहन करते जाना है सदियों तक, और किसे पीट-पीट कर मार डालना है, यह सब हमारे लिए कोई और तय करता है। हमने कब खुद के लिए खुद की मर्जी से सोचना सीखा? जो बता दिया गया, उसी को अंतिम मानते रहे! हम तो बताई गई मर्जियों पर अपनी मर्जी की मुहर लगा कर ही जीते जा रहे समाज रहे हैं हमेशा से।

क्यों आश्चर्य हो जब आपके तार्किक होने और यह पूछने को गुनाह मान लिया जाए कि 'क्या यह कोई न्यायिक प्रक्रिया है'? शिक्षकों के आंदोलन को दरकिनार किया जाए और विद्यार्थियों की फीसवृद्धि को रद्द करने और शिक्षा को मुफ्त करने की मांग को देशद्रोह ही कह दिया जाए! सवाल पूछना आपका काम नहीं था। सौंप दिया गया काम था ताली बजाना, जयकारा लगाना। सवाल पूछेंगे तो मारे जाएंगे तो इसमें हैरत क्यों हो भला! क्यों हैरानी हो कि हम यह भी न सोचें कि यही पुलिस अपनी ही महिला अधिकारी की रक्षा में अक्सर नाकाम पाई जाती है। पुलिस क्या कोई व्यक्ति है? भीड़ क्या कोई व्यक्ति है? नहीं, दोनों ही सत्ता के खिलौने हैं, जिससे सत्ता अपनी-अपनी तरह से खेलती रहती है।

ऐसा लगता है कि पुलिस और सुरक्षा बलों का महकमा अपने भीतर भी तमाम लड़ाइयां लड़ रहा है। एक सिपाही को छुट्टी नहीं मिलती है और वह किन स्थितियों में पहुंच कर पांच साथियों को मार कर खुद को भी मार लेता है, यह बात क्यों चर्चा का विषय नहीं बनती? महीनों उन्हें घर जाने का मौका नहीं मिलता, हफ्तों छुट्टी नहीं मिलती, सोलह-सोलह घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। यह पूरे महकमे की कुंठा से भरी बातें हैं। ऐसी कुंठा भरी खबरें उनके भीतर भी बेलगाम प्रतिक्रिया की राह प्रशस्त करती हैं। पुलिस अपने नकारेपन को इस तरह ढंकती है और सुर्खियों में हिट हो जाती है। जनता नाचने लगती है कि न्याय हुआ। पर क्या सचमुच न्याय हुआ?

बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता कि यही जनता सवाल नहीं करती कि बलात्कार, हत्या और अन्य अपराधों में शामिल लोग संसद में क्यों हैं! हां, याद आया... आखिर जनता ने ही तो उन्हें चुन कर भेजा है! क्यों भेजा होगा जनता ने उन लोगों को संसद में, यह सोचना मना है। हम तमाशबीन समाज हैं, क्योंकि ऐसे ही हम बनाए गए हैं। इसमें आश्चर्य कैसा भला? और जो इस भेड़चाल में शामिल नहीं हुए हैं, जिन्होंने सवाल करने बंद नहीं किए है, जिन्होंने बेहतर समाज का सपना देखना नहीं छोड़ा, जो भीड़ की तेज बहाव के खिलाफ भी अपना हस्तक्षेप दर्ज कर देते हैं, जो इंसाफ और हकों के लिए अब भी लड़ना और आवाज उठाना जानते हैं, उनका अगर मजाक उड़ाया जाए, उन पर मुकदमे दर्ज हों, उन्हें नजरबंद किया जाए, देशद्रोही कहा जाए तो भला क्यों आश्चर्य होना चाहिए! एक जागे हुए दिमाग से ज्यादा खतरनाक भला और क्या होता है? तो उसे घेरने में तो सत्ताएं जुट ही जाएंगी न?

नहीं आश्चर्य होता कि हम सबको, इस पूरे समाज को धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद और कहीं-कहीं सत्ता की चापलूसी से मिलने वाले फायदों, पुरस्कारों आदि की अफीम चटा-चटा कर कठपुतली बना दिया गया है। ये कठपुतलियां भीड़ हैं, साइबर सेल हैं। ये कठपुतलियां विलक्षण लेखक हैं, पत्रकार हैं, फिल्मकार हैं। इनके पास वे 'तर्क' हैं जो इंसानियत की पैरवी नहीं करते, धर्म की करते हैं, जाति की करते हैं। 'तर्क' जो अपराधियों में भी धर्म देखते हैं और पीड़ित में भी!

आश्चर्य तो यह है कि कोई उम्मीद है जो अब तक बुझी नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि एक सुंदर समाज का सपना है जो तमाम किरचों में टूट जाने के बावजूद बचा हुआ है। दूर किसी गांव में कोई शिक्षक बच्चों को सुना रहा है प्यार भरी कोई कविता और कोई बच्ची लिख रही है 'छोटा उ से उम्मीद'!

बेरोजगारी का दंश

बेरोजगारी भारत के लिए सिर दर्द बन गया है और इसके कारण करोड़ों युवाओं को घर बैठने पर मजबूर होना पड़ा है। देश में बेरोजगारी की समस्या कोई नई नहीं है। 'गरीबी हटाओ' का अभियान आज से लगभग पैंतालीस वर्ष पहले इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था। लेकिन आज इक्कीसवीं सदी के पूर्वार्ध में बेरोजगारी अपनी जड़ बहुत मजबूत कर चुकी है। जिस तरह उसके उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि राहें बेहद मुश्किल हैं। एक युवक के बेरोजगार रहने से न सिर्फ उसके अपने रहन सहन पर असर पड़ता है, बल्कि उस पर आश्रित पूरे परिवार को निम्न स्तर की जिंदगी भी नसीब नहीं हो पाती है।

इसी अक्तूबर में बेरोजगारी की दर 8.5 फीसद हो गई, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की यह दर अगस्त 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारों की फौज इकट्ठा हो रही है। भारत जैसे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी, कौशल की कमी, प्रदर्शन संबंधी मुद्दे और बढ़ती आबादी सहित कई कारक इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। इस कारण से भारत के जीडीपी पर भी असर साफ दिख रहा है।

बेरोजगारी की वजह से गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्याएं खड़ी होती हैं। इससे न केवल एक व्यक्ति, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। यह बेवजह नहीं है कि आज बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या भी बन गया है। सरकारें जो कदम उठाती हैं, वे प्रभावी नहीं हैं। बल्कि आमतौर पर यह दिखावे के लिए होता है। इसके किए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नीति निमार्ताओं और नागरिकों को अधिक नौकरियों के निर्माण के साथ ही रोजगार के लिए सही कौशल प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।

● *अनु मिश्रा, बिठुना, सिवान*

देश की साख

सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया। इस पर सदन में काफी तीखी बहस हुई और हंगामा भी हुआ। पर भारत के एक पंजीकृत नागरिक होने के नाते कुछ बातों पर गौर करना चाहिए। इस विधेयक को लाना जितना आसान था, उससे कहीं अधिक मुश्किल इसे पारित कराना और लागू करना है। जो हो, विधेयक कहीं न कहीं हमारे धर्मनिरपेक्षता और संविधान के मूल ढांचों पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। अगर विवेक के साथ सोचा जाए तो कहीं न कहीं ये देश के दो धर्म विशेष समुदाय के बीच दूरियां बढ़ाने का काम करेगा।

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

विधेयक के प्रावधानों पर गौर किया जाए तो लगता है कि यह किसी खास धर्म वाले समुदाय को इसके दायरे से बाहर निकालने का प्रयास है। अगर इसे सदन से पास करा कर देश भर में लागू कर दिया जाए तो कहीं न कहीं यह हमारे राष्ट्रनिमार्ताओं की सोच, उद्देश्य, और उनकी कल्पना के भारत का गला घोंटना होगा। हम 1947 में काफी संघर्ष और बलिदानों के बाद एक स्वतंत्र देश बने और तुरंत हमारा विभाजन भी हो गया। हम धर्म की तलवार से दो भागों में बंट गए। अलग देश के सवाल के साथ पाकिस्तान बन गया और शेष भारत में हर धर्म के लोगों को रहने, अपना गुजर-बसर करने की आजादी मिली। ये बातें संविधान के मौलिक अधिकारों में भी कही गई है।

अब सवाल उठता है कि इस विधेयक में ऐसा क्या है जो हमारे मूल ढांचे पर असर डालता है? अगर हम अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को आसरा देकर भारत के नागरिक बना सकते हैं तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों? श्रीलंका के तमिल क्यों नहीं? उनके साथ भी तो वहां भेदभाव होता है! इस बात की क्या गारंटी है कि आज जो प्रयास मुसलमानों के साथ हो रहा है, वह भविष्य में किसी और समुदाय के साथ नहीं होगा? अगर इसके दूरगामी परिणामों पर गौर करें तो लगता है कि जब-जब हिंदुओं के समकक्ष कोई समुदाय आकर खड़ा होगा, तब-तब हम नागरिकता संशोधन करके उस समुदाय को बाहर निकाल देंगे।

अगर देश को किसी खास धर्म का देश बनाना है तो फिर संविधान में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम शायद भूल रहे हैं कि अगर आज हम दुनिया से आंख में आंख डाल कर बात कर रहे हैं, वह शक्ति और जज्बा हमें हमारी धर्मनिरपेक्षता से मिली है। यह जिस दिन समाप्त होगी, भारत को दुनिया भर में एक कमजोर देश माना जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि कभी कि एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती है।

● *धीरज कुमार, दरभंगा, बिहार*

गरीबी की जड़ें

गरीबी और भुखमरी एक दूसरे से संबंधित है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के निर्धारण के तरीकों को लेकर हमेशा विवाद रहा है। नतीजतन, योजनाओं को लक्षित वर्ग तक पहुंचने में हमेशा कठिनाई आती रही है। कुपोषण की निरंतरता गरीबी और भुखमरी को और जटिल बना देता है। इसके चलते एक बहुत बड़ी जनसंख्या भुखमरी और गरीबी की जाल में फंसती चली जाती है।

उदारीकरण की नीतियों ने भी गरीबी और भुखमरी को बढ़ाया है। इसके परिणामस्वरूप असमानता के स्तर में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है, जिसने गरीबी और भुखमरी को जन्म दिया है। समस्या यह है कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए और आर्थिक विकास को किस तरह से गति प्रदान कर संसाधनों का वितरण सही तरीके से किया जाए । योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाना भी इसकी एक प्रमुख समस्या है। सरकार, प्रशासन और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मव्यता गरीबी और को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका है।

● *विश्वजीत शुक्ला, पलामू, झारखंड*

हवा की कीमत

हमारे देश में हर दिन एक नई सामाजिक समस्या जुड़ती जा रही है। लेकिन अब प्रकृति भी हमारा साथ छोड़ती नजर आ रही है। वायु प्राणी की प्राथमिकता है। लेकिन हालत यह है कि वायु की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसका हल किसी के पास नहीं है।

इस बात की परेशानी हर किसी को खाए जा रही है कि इसमें सुधार कैसे लाया जाए। सरकार ने भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं। काफी हद तक बेहतर परिणाम के आसार भी दिख रहे थे, मगर यह पूर्ण रूप से तभी खत्म होगा जब हर व्यक्ति अपना योगदान प्रदूषित वायु को कम करने में दे। लोगों के मन में खौफ तो उस दिन का है, जब शुद्ध हवा भी खरीदनी पड़ जाएगी। उस पल न जाने क्या होगा देश के उन लोगों का जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसने सबको परेशान कर दिया है।

● *निशा कश्यप, हरी नगर आश्रम, नई दिल्ली*

www.readwhere.com